

2
158
12/5/2022

FORM NO. III

16

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर

बनाम लालचंद रीय 4969
किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 212 नं० 2/158 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.05.2022	<p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 29.07.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 0.06, 150 रकबा 1.13, 260 रकबा 0.27 हैक्टो वाकेग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर की रिकार्ड व भोके की यथास्थिती बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थी साधारण/रजिस्टर्ड एण्ड्रीड से दिनांक 29.07.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। पत्रावली दिनांक 29.07.2022 को पेश हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)</p> <p>29/07/22 वादी के वकील/वकुला उपस्थित/पीठासीन अधिकारी पेश किया गई वास्तु... को पेश हों दिनांक 25/10/22</p> <p>25/07/23 वादी के वकील/वकुला उपस्थित/पीठासीन अधिकारी पेश किया कल दिनांक गई वास्तु... को पेश हों दिनांक 25/07/23</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय..... उपखण्ड अधिकारी मुकाम..... गोविन्दगढ़ (अलवर)
 लावचंद्र बनाम..... राजेश्वर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	<p>10.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... <u>पुसाव</u> <u>के</u> पत्रावली दिनांक..... <u>22/12/23</u> को पेश हो। <u>रज</u> रीडर</p>	
	<p>22.12.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब..... <u>के</u> <u>के</u> पत्रावली दिनांक..... <u>19.1.24</u> को पेश हो। <u>रज</u> रीडर</p>	
	<p>19.1.24 पत्रावली पेश हुई। आज बार एमो. के द्वारा पेश की। P.O. साहब..... के पत्रावली दिनांक..... को पेश हो। <u>30.1.24</u> <u>रज</u> रीडर</p>	
<u>30.1.24</u>	<p>पत्रावली परस्तुतु हुई। वहील सवारी अनुपस्थित। वहील व उनके सवारी को न्यायालय द्वारा धाट-बध आवाज लगावाकी गई। इसके बावजूद वहील व उनके सवारी उपस्थित नही आये। अतः सार्वनापत्रा-2 RTI नकल व उनके सवारी की अफम छापीली-अफम चेकी में खातिज लिमा जाता है। पत्रावली के लल शूअर होकर नम्बर से क्रम हो। आड ताकिल तकनील हाकिल दफ्तर से।</p> <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	